न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा संभाग रीवा

(म0प्र0)

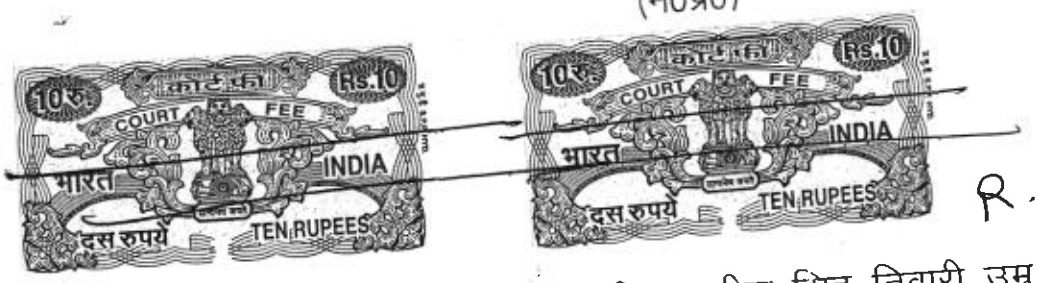

R. 3454-II/14

सूर्यबली सिह तिवारी तनय श्री जगदीश सिह तिवारी उम्र 50 वर्ष ग्राम पो0 चोरमारी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 ....

.........आवेदक / निगराकार

आवेदक अभिभाषक श्री एस.पी. मिश्रा एड. द्वारा पेश 18-9-14

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

बनाम

म0प्र0 शासन ....अनावेदक / गैरनिगराकार

563
18.9.14

आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्व आदेश प्रथम निगरानी तहसीलदार रामपुर बाघेलान प्रकरण क0 38ए68 / 2003–04 आदेश दिनांक 25 / 08 / 2014 शासन म0प्र0 बनाम सूर्यबली सिह बगै0 निरस्त किये जाने वावत् एवं अधिनस्थ कोर्ट का रिकार्ड तलब कराया जाय

क्रमांक 3234
19-9-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र.

मान्यवर,

आवेदक / निगराकार निगरानी प्रस्तुत कर सादर विनयी है :–

1: यह कि आवेदक / निगराकार ग्राम चोरमारी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 का मूल निवासी है।

— कि आवेदक / निगराकार की आराजी नं0 1601 रकवा 0.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3454–तीन/2014 जिला सतना

सूर्यवली सिंह तिवारी विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–6–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार रामपुर बाघेलान जिला सतना के प्रकरण कमांक 38/ए–68/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 25–08–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक ने अपने निगरानी मेमो एवं तर्क में बताया कि आराजी कमांक 1601 रकबा 85 डि0 तथा आराजी कं 1600/2216/1 रकवा 0.34 डि0 पर उसका मकान बना हुआ है। आवेदक ने निगरानी मेमो के पैरा 4 में आराजी कं 1601 एवं 1602 को शासकीय आराजी होना बताया है तथा यह बताया कि सीमांकन किए बिना उसे अतिकामक मानकर धारा 248 की कार्यवाही की गई है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन के समय आवेदक का शासकीय भूमि पर कब्जा पाये जाने से एवं आवेदक द्वारा शासकीय भूमि से कब्जा नहीं हटाने तथा वर्तमान में अतिक्रमण होने के आधार पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 25–8–2014 के द्वारा संहिता की धारा 248 के तहत सिविल जेल की कार्यवाही हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी की ओर प्रेषित किया है। तहसीलदार के आदेश पत्रिका के अनुसार विवादित भूमि का पूर्व में सीमांकन किया जा चुका है और आवेदक द्वारा शासकीय भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण अग्रिम	

सूर्यवली सिंह तिवारी / शासन (8)

प्रकरण कमांक निगरानी 3454–तीन/2014
सूर्यवली सिंह तिवारी विरूद्ध म0प्र0 शासन जिला सतना

कार्यवाही की जा रही है। तहसीलदार द्वारा पारित उक्त आदेश में किसी प्रकार की कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है।

4/ आवेदक ने विवादित भूमि पर 40 वर्ष से कब्जा होना बताया है। कब्जे के आधार पर स्वत्व प्रदान करने की अधिकारिता व्यवहार न्यायालय को है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य